

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/06-योजना- 68/2025 4905(3)

दिनांक - 23/12/2025

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू रांची।

विषय:-

पथ प्रमण्डल, खूंटी अन्तर्गत "खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा पथ के 8वें कि0मी0 पर बनई नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य" हेतु रू0 7,36,03,900/- (सात करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार नौ सौ रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 7,36,03,900/- (सात करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार नौ सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.

यह पुल, खूंटी - तोरपा - कोलेबिरा पथ पर अवस्थित है, जो पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अन्तर्गत है। यह झारखण्ड राज्य को छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पथ है। झारखण्ड राज्य के दोनों सीमावर्ती राज्यों के बीच व्यवसायिक वाहन भी इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। अतएव कार्यहित में खूंटी-तोरपा - कोलेबिरा (SH-03) पथ के कि0मी0 8वें पर स्थित बनई नदी पर नये पुल निर्माण कार्य कराया जाएगा।

3.

इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-03-पुल, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4.

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, खूंटी होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, खूंटी से की जायेगी।

5.

इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

<u>वित्तीय वर्ष</u>	<u>वित्तीय लक्ष्य</u>	<u>भौतिक लक्ष्य</u>
2025-26	रू0 220.81170 लाख	30%
2026-27	रू0 515.22730 लाख	70%

6.

मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

7.

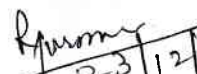
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

8.

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9.

इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


23/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।


26/12/25

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 68/2025 4957(3)

दिनांक -23/12/25

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अध्याचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या0) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह, अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R. Guram
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 68/2025 4957(3)

दिनांक -23/12/25

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/ सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, खूँटी/ संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रा0), पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची /उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अन्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Guram
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 68/2025 4957(3)

दिनांक -23/12/25

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Guram
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना- 68/2025 4957(3)

दिनांक -23/12/25

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

R. Guram
23/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।